

**कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक- 1162

राँची, दिनांक- 10/11/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

**विषय :-** सी0सी0एल0 के नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/Others/34881/2018) के संबंध में।

- प्रसंग :-**
1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का पत्रांक 3124 दिनांक 19.10.2022
  2. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2293 दिनांक 12.10.2022
  3. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1627 दिनांक 19.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में वन विभागीय पत्रांक 2513 दिनांक 29.08.2022 द्वारा सी0सी0एल0 की नॉर्थ उरीमारी रेलवे साईडिंग परियोजना हेतु कुल 11.11 हे0 (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 8.27 हे0 एवं रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 2.84 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में छः बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है, जिसका निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2293 दिनांक 12.10.2022 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1627 दिनांक 19.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/बोकारो के प्रतिवेदानुसार एवं अभिलेखानुसार निराकरण निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

क्र0 सं0	पृच्छा	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	रामगढ़ वन प्रमंडल
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत NOC की प्रति।	उपायुक्त, हजारीबाग का ज्ञापांक 1990 दिनांक 18.10.2021 द्वारा जंगल- झाड़ी भूमि का सक्षम स्तर से निर्गत अनापति प्रमाण पत्र अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से संबंधित है।
2	रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	रामगढ़ वन प्रमंडल से संबंधित है।	विषयगत परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ) छायाप्रति संलग्न। Annexure-1. FRA के तहत निर्गत प्रमाण पत्र Online प्रस्ताव के Additional Document में Upload कर दी गई है।



3	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA के तहत प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में बैठकों की कार्यवाही।	उपायुक्त, हजारीबाग का ज्ञापांक 409 दिनांक 03.07.2021 द्वारा FRA प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में हुई बैठक दिनांक 03.07.2021 की कार्रवाई की प्रति प्रमाण पत्र सहित अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से संबंधित है।
4	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य।	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1054 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसे नोडल कार्यालय के पत्रांक 880 दिनांक 01.09.2022 द्वारा राज्य सरकार को भेज दी गयी है। (सुलभ संकेत हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न।)	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1054 दिनांक 29.08.2022 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसे नोडल कार्यालय के पत्रांक 880 दिनांक 01.09.2022 द्वारा राज्य सरकार को भेज दी गयी है। (सुलभ संकेत हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न।)
5	प्रस्ताव के पार्ट-II Enumeration list एवं आपके कार्यालय के प्रासंगिक पत्र में उल्लिखित वृक्षों की संख्या में अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडली से संबंधित प्रस्ताव के पार्ट-II में वृक्षों की संख्या शून्य दर्शाया गया है, जो सही है। अनुलग्नक-4 पर संलग्न है।	इस कार्यालय के पत्रांक 556 दिनांक 27.06.2022 में टंकणीय भूलवश परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 127 के स्थान पर 129 हो गयी थी, जबकि रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि पर वृक्षों की संख्या 127 है।
6	रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि के घनत्व के संबंध में पार्ट-II एवं आपके कार्यालय के प्रासंगिक पत्र में अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	रामगढ़ वन प्रमंडल से संबंधित है।	इस कार्यालय के पत्रांक 556 दिनांक 27.06.2022 में टंकणीय भूलवश रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि का घनत्व 0.2 अंकित हो गयी थी, जबकि प्रस्तावित वनभूमि का वनस्पति घनत्व 0.3 है।

अतः उपरोक्त दोनों वन प्रमंडल से संबंधित प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड का अनुमोदन अपेक्षित है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,  
10.11.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

10-11